



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1791 का संशोधन सहित नवीकरण

Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1791

विषय / Sub: डीसी डिस्ट्रिब्यूशन बॉक्स - 2, पार्ट सं.: 2283 00 000

DC Distribution Box - 2, Part No.: 2283 00 000

यह घोषित किया जाता है कि "डीसी डिस्ट्रिब्यूशन बॉक्स - 2", पार्ट सं. 2283 00 000 को एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (ए एस ई आर डी सी), द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ -226 016 द्वारा उत्पादित किया गया है। इसे संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1791, दिनांक 26 सितम्बर 2013 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1791 जारी किया गया था जो कि 30 जून 2018 तक वैध थी।

This is to state that the "DC Distribution Box - 2" bearing the Part No.: 2283 00 000, designed, developed by Aerospace Systems and Equipment Research & Design Centre (ASERDC), and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016. This was issued with Type Approval No.: 1791 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA - 1791, dated: 26th September 2013 with validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 जुलाई 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ - 226 016 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that, this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st August 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st July 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lko), Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1791, दिनांक 26 सितम्बर 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1791, dated: 26th September 2013 is amended as stated herewith.

“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगी।


All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1791/1R

दिनांक/Date: 06 August 2018

फैक्स सं./Fax No.: 080-2523 0856


06th Aug/18


पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)